

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : 4562
दिनांक : 24/9/18

क्रमांक : प.10(23)नजिवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 19 SEP 2018

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम-1962 के नियम 4 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.03.2013 के द्वारा "अलवर के नगरीय क्षेत्र हेतु" मास्टर प्लान-2031 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.05.2018 के द्वारा अलवर मास्टर प्लान-2031 का क्षितिज वर्ष 2051 तक बढ़ाया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया जाता है कि "अलवर के नगरीय क्षेत्र" हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान-2051 के नगरीय क्षेत्र मानचित्र में जयसमन्द झील सीमा का संशोधन एतद्द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान में किये गये संशोधन का अवलोकन नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

EO

(मगन लाल योगी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर), जयपुर।
6. जिला कलक्टर, अलवर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
9. रक्षित पत्रावली।

ACCEPTED
SEP 24 2018
uploading on website.
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय